

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding procurement of agricultural crops by Government agencies.

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पूरे देश में धान की खरीद शुरू हो जाती है, जिसे हम पंजाबी में झोना कहते हैं। वर्ष 2019-20 में 23 राज्यों 762.8 लाख मीट्रिक टन पैडी की खरीद हुई थी, जिससे 511.58 लाख मीट्रिक टन चावल निकला था। हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक संसद में पारित हुए, उससे करोड़ों किसानों में यह आशंका है कि क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तरह खरीद करती रहेंगी? यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका औचित्य तो तब बनेगा जब सरकारी एजेंसियां एफसीआई और एफसीआई जो पैसा राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है, वे एजेंसियां उसी तरह से धान की खरीद करती रहें।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आज करोड़ों किसान सड़कों के ऊपर हैं, उन किसानों को सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि पहले की तरह सरकारी एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां, विशेषकर एफसीआई और एफसीआई, जो पैसे राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है, वैसे ही पैसे देकर जो सरकारी खरीद है, वह निरन्तर जारी रहेगी। धान की खरीद होगी, उसके बाद गेहूं की खरीद होगी और इसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर केंद्र सरकार खरीद करती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:

श्री मलूक नागर,

श्री कुलदीप राय शर्मा और

श्री के. नवासखनी को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।